–: राजस्थान सरकारः–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–15/2023 (जीसीएमएस नं0 2023/15)

उनवान –सरकार बनाम

1.रामप्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री गंगाप्रसाद ,उम्र 60वर्ष,जाति वैश्य,मैसर्स : अग्रवाल किराना स्टोर ,शास्त्री नगर, जीटी रोड, धौलपुर निवासी शास्त्रीनगर, जीटी रोड, धौलपुर ।

2. मैसर्सः बाबूलाल रामप्रसाद फ्लोर एण्ड ऑयल मील, सराय गजरा रोड, धौलपुर
3. रोहित चोगनी पार्टनर मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर
4. लक्ष्मी चोगनी पार्टनर मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर
5. नेहा चोगनी मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर
6. मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –21.02.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री रामप्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री गंगाप्रसाद ,उम्र 60वर्ष,जाति वैश्य,मैसर्स : अग्रवाल किराना स्टोर ,शास्त्री नगर, जीटी रोड, धौलपुर निवासी शास्त्रीनगर, जीटी रोड, धौलपुर ,मैसर्सः बाबूलाल रामप्रसाद फ्लोर एण्ड ऑयल मील, सराय गजरा रोड, धौलपुर, रोहित चोगनी पार्टनर मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर,लक्ष्मी चोगनी पार्टनर मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर,नेहा चोगनी मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर एवं मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/52 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2022 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का मैसर्स : अग्रवाल किराना स्टोर ,शास्त्री नगर, जीटी रोड, धौलपुर निवासी शास्त्रीनगर, जीटी रोड, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखें शोकेश में लगभग 10 बोतल(प्रत्येक 10 लीटर) रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) में मिलावट का शक होने पर उक्त रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) में से 10 बोतल (प्रत्येक 10 लीटर) रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) नमूना डी–2680 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्टएलएस/1237/एसीटी/2022/1238 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार विकेता द्वारा

Scanned with CamScanner

—: राजस्थान सरकारः—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—15/2023 उनवानी सरकार बनाम रामप्रसाद बगैरा

वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वंय उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 3 ,4, 5 एवं 6 की ओर से नोमिनी श्री श्यामलाल उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त मिसब्राण्ड रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण मिसब्राण्ड रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण रामप्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री गंगाप्रसाद ,उम्र 60वर्ष,जाति वैश्य,मैसर्स : अग्रवाल किराना स्टोर ,शास्त्री नगर, जीटी रोड, धौलपुर निवासी शास्त्रीनगर, जीटी रोड, धौलपुर ,मैसर्सः बाबूलाल रामप्रसाद फ्लोर एण्ड ऑयल मील, सराय गजरा रोड, धौलपुर, रोहित चोगनी पार्टनर मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर,लक्ष्मी चोगनी पार्टनर मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर,नेहा चोगनी मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर एवं मैसर्सः रोहित फूड्स, रनबांका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड,नेस्ट टू गिलिज सिनेमा , जोधपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 1,00,000/—रुपये (एक लाख रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

Scanned with CamScanner